(b) the details of achievements made in the State of Maharashtra/Madya Pradesh?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) Performance of Geological Survey of India (GSI) and Indian Bureau of Mines (IBM) during Seventh Plan and their programme for Eighth Plan in various parts of the country is given in the Annexure. *[See* Appendix CLXV, Annexure No. 49]

(b) Achievements made by GSI and IBM during VII Plan period in the States of Maharashtra and Madhya Pradesh are as under:—

1. Geological Survey of India:—As a result of survey/exploration carried out by GSI following mineral reserves/ resources were established in Maharashtra and Madhya Pradesh during the Vllth Plan period:—

Coper ore — 0.83 million tonnes (MT) with 0.81% copper in Ranmangli block in Maharashtra.

Lead-zinc ore — 8.38 MT with 6.80% zinc in Kolari Zone in Maharashtra.

Tine ore — 6000 tonnes in Pushpal-Tongpal- Katekalyan in Bastar Dist.. Madhya Pradesh.

Tungsten ore — 4.72 MT with 0.241% WO, in Khobana, 2.50 MT with 0.15% WO_3 in Kuhi and 0.70 MT with 0.157% WO, in Bhaonri in Nagpur Dist., Maharashtra.

Coal — 30 MT in Maharashtra and 2000 MT in Madhya Pradesh.

2. Indian Bureau of Mines:— IBM carried out 43 special studies, 48 mineral reject studies, 50 mine inspections in Madhya Pradesh and Maharashtra and made suggestions for improvement in the performance of the projects in conservation, development and environment performance etc., Market survey of dolomite, kyanite and sillimanite and three technical consultancy assignments were also completed for small and medium mines. Work study on productivity of Malanjkhand copper project in Madhya Pradesh, Monograph of copper including Malanjkhand deposit in Madhya Pradesh, Monograph of rock phosphate, an important mineral of Madhya Pradesh, environmental study of three important mines, work study on two important limestone mines, slope stability study of 5 large mines and 02 ore dressing investigations were completed for Maharashtra and Madhya Pradesh. 40 mining plans in Maharashtra and 211 mining Plans in Madhya Pradesh were approved during VII Plan period.

राज्यों को खनिजों के लिए रॉयल्टी

2921. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार उन विभिन्न राज्यों को रॉयल्टी प्रदान करती है जहां कोयला, पैट्रोलियम आदि खनिजों का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और उन्हें किस-किस उत्पाद के लिए कितनी-कितनी रॉयल्टी दी जा रही है;

(ग) क्या सरकार इस समय हिमाचल प्रदेश को पन-बिजली उत्पादन के लिए रॉयल्टी दे रही है अथवा निकट भविष्य में रॉयल्टी देने का विचार रखती है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) केन्द्र सरकार कोयला और खनिज तेलों जैसे प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम सहित किसी खनिज को निकालने के लिए राज्य सरकारों को रॉयल्टी नहीं देती है। केन्द्र सरकारी क्रमशः खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 और तेल क्षेत्र विनियमन और विकास अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निकाले गए खनिजों और खनिज तेलों के लिए खनन पट्टा धारकों और तेल कंपनियों द्वारा देय रॉयल्टी की दरें निर्धारित करती हैं।

(ख) कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सहित विभिन्न खनिजों के लिए देय रॉयल्टी विवरण में दर्शायी गई है (नीचे देखिए) चूंकि ये दरें किसी खनिज को निकालने की मात्रा/मूल्य से जुड़ी होती हैं, इसलिए किसी राज्य को देय रॉयल्टी की कोई निश्चित राशि नहीं होती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) संभावित कानूनी और संवैधानिक समस्याओं को देखते हुए।

विवरण

रॉयल्टी दरें

खनिज (कोयला तथा तेल खनिजों सहित)

	खनिज का नाम	रायल्टी की दर (रु० में देय)
1.*(क)	अगेट, एपेटाइट, रॉक-फास्फेट (30% पी$_2$ ओ$_5$ तक) एम्बेस्टस, (एम्फीबोल), बैराइट, बाक्साइड कैल्साइट, चीनी मिट्टी, (काओलिन), क्रोमाइट (40% सीआर$_2$ ओ$_3$ तक), डायस्पोर, डोलोमाइट फेल्स्पार, फायरक्ले, फ्लोरस्पार (30% सीएएफ 2 अथवा कम), गारनेट (अपघर्षी), ग्रेफाइट (80% नियत कार्बन तक), जिप्सम, इल्मेनाइट, लैड, कायनाइट, लाइमशैल, चूनापत्थर, मैग्नेसाइट, मैंगनीज अयस्क (78% एमएनओ 2 से अधिक और 4% अथवा उससे कम लौहयुक्त को छोड़कर), ओकर पाइरोफलाइट, क्वार्टज, सिलिका बालू और मोल्डिंग बालू क्वार्टजाइट सेलेनाइट, सिलिमेनाइट, स्लेट, टैल्क, स्टीटाइट और सोपस्टोन, वर्मीकुलाइट, वोलस्टोनाइट, घराई रेत।	(0-100) प्रतिटन
(ख)	रॉक फास्फेट (30% पी$_2$ ओ$_5$ से अधिक), ग्राफाइट इल्मेनाइट, क्रोमाइट (40% सीआर 2 ओ से अधिक, 47% सीआर$_2$ ओ$_3$ से कम) फ्लोरस्पार(3% सीएएफ 2 से कम) ग्रेफाइट (80% से अधिक नियत कार्बन) मैंग्नीज अयस्क (78% एमएनओ$_2$ से अधिक और 4% अथवा उससे कम लौह युक्त) मोनाजाइट, जिरकान	(101-200) प्रतिटन
(ग)	कोरन्डम, फ्लोरस्पार (80% सीएएफ 2 से अधिक) रुटाइल, क्रोमाइट (47% और सीआर$_2$ ओ$_3$ से अधिक)	(201-300) प्रतिटन
(घ)	एम्बेस्टस (क्राइसटाइट)	300 प्रति टन से अधिक
(ङ)	तांबा अयस्क, निकिल अयस्क, सीसा अयस्क, जस्ता अयस्क, टंगस्टन, कैडमियम	(0-100) अयस्क के प्रतिटन धातु /अंश के प्रतियूनिट प्रतिशत यथा अनुपात आधार पर।
(च)	पाइराइट	अयस्क में प्रतिटन गंधक अंश के प्रति यूनिट प्रतिशत पर साठ पैसे-यथा अनुपात आधार पर।
(छ)	हीरा, मूल्यवान और अर्ध-मूल्यवान रत्न (अगेट और हीरे को छोड़कर) सभी गैर-विनिर्दिष्ट खनिज	खान मुहाने पर बिक्री मूल्य का (0-20) प्रतिशत
(ज)	अभ्रक	(0-50) प्रति 100 कि० ग्रा०
(झ)	सोना	(0-15) अयस्क के प्रतिटन स्वर्ण में निहित एक ग्राम पर यथा अनुपात आधार पर।
(ञ)	चांदी	340 प्रति कि० ग्रा० धातु
(ट)	यूरेनियम	0-05 प्रतिशत मात्रा तक यू$_3$ ओ$_8$ युक्त जिसमें 0.01 प्रतिशत बढ़ोतरी/कमी के लिए 1 रु० प्रति मीट्रिक टन अयस्क।
2.	कोयला**	
(1)	पश्चिम बंगाल और असम राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में उत्पादित कोयला	(0-150) प्रतिटन

	खनिज का नाम	रायल्टी की दर (रु० में देय)
(2)	पश्चिम बंगाल और असम में उत्पादित कोयला	(0-10) प्रतिटन
3.	**खनिज तेल**	
1.	कच्चा तेल	314 रु० प्रति० मी० टन
2.	प्राकृतिक गैस	कुंए के मुहाने पर प्राकृतिक गैस की 10%

* खनिज-वार दरें भारत सरकार, खान मंत्रालय की 5.5.87 की अधिसूचना सा० का० नि० 45.8(ङ) के साथ पठित दिनांक 17 फरवरी, 1992 की गजट अधिसूचना सं० 71 में दी गई हैं।

** इन दरों का विस्तृत ब्यौरा भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की 1 अगस्त, 1991 की अधिसूचना सा० का० नि० 51(ङ) में दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश में तांबे के भण्डार

2922. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की गड़सा घाटी में पटपानी नामक स्थान पर तांबे के भण्डारों का पता चला है और वहां पर पिछले कई वर्षों से सर्वेक्षण कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि गड़सा से पटपानी तक सड़क की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण सर्वेक्षण कार्य में बाधा आ रही है और वांछित मशीनरी गड़सा घाटी से पटपानी तक नहीं पहुंच पायी है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अब तक किए गए सर्वेक्षण और गवेषण के फलस्वरुप, जिला कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) की गड़सा घाटी में नरोल के पास तांबा खनिजीकरण का पता चला है।

(ख) और (ग) हालांकि गड़सा से नरोल तक सड़क की स्थिति बहुत खराब है, फिर भी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इस क्षेत्र में गवेषण कार्य जारी रखे हुए हैं।

हिमाचल प्रदेश में धातुओं की खोज

2923. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हिमाचल प्रदेश में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के आधार पर किन-किन स्थानों में, किस-किस धातु की अनुमानतः कितनी-कितनी मात्रा होने का पता चला है;

(ग) क्या इस सर्वेक्षण के आधार पर कोई खनन कार्य आरंभ हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर और इस संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) जी हां।

(क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षण के फलस्वरूप, हिमाचल प्रदेश में—जिला—कुल्लू में गड़सा घाटी में तांबा, जिला सिरमोर में अनियार अम्बोता में सीसा और जस्ता, लाहोल-स्पीति जिले में बरशीगड़ी में एन्टीमनी अयस्क के छुटपुट भंडार, ज़िला किन्नौर के अक्पा-यांगथांग, मंडी जिले के पानडोह-कारसोग और जिला चम्बा के डलहौजी क्षेत्र में टिन-टंगस्टन तथा लीथियम अयस्क, जिला बिलासपुर के घुमारविन क्षेत्र में स्वर्ण, जिला सोलन के पधान और बनूह क्षेत्र में आधार धातु (तांबा, सीसा, जस्ता अयस्क के गौण भंडार) तथा जिला सोलन के आरकी सब-डिविजन ताल क्षेत्र में जस्ता-सीसा और कैडमियम अयस्क का पता लगाया गया है। अन्वेषण कार्य प्रारंभिक चरणों में है और अब तक प्राप्त आंकड़े भंडारों के अनुमान के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।